न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1459–दो/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 28–10–2013 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर प्रकरण कमांक 195/10–11/निगरानी.

जशोदाबाई पत्नी बाबू लाल
निवासी उकावद
तहसील मधूसूदनगढ जिला गुना .....आवेदिका

विरूद्ध

1– गेंदालाल पुत्र चंपालाल
2– वीरेन्द्र पुत्र प्रेमनारायण
3– प्रेमबाई पत्नी प्रेमनारायण
4– रोडेलाल पुत्र दयाराम
5– कैलाश पुत्र चंपालाल
6– भूरी बाई पत्नी चंपालाल
7– भजन सिंह पुत्र दरयाव
निवासीगण ग्राम उकावद
तहसील मधूसूदनगढ़ जिला गुना .....अनावेदकगण

श्री के0के0 द्विवेदी, अभिषक, आवेदिका
श्री आर0के0 उपाध्याय, अभिषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 15/6/16 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2013 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार, मकसूदनगढ़ के समक्ष संहिता की धारा 168, 169 व 190 के अंतर्गत ग्राम उकावद स्थित भूमि सर्वे कमांक 228/2 रकबा 6.117 हेक्टेयर पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा द्वितीय अपील में पारित आदेश दिनांक 23–4–2010 के अनुक्रम में नामांतरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 34/अ–6/2009–10 दर्ज कर कार्यवाही की जाकर दिनांक 23–10–2010 को अनावेदकगण की साक्ष्य ली गई । आवेदिका के उपस्थित होने पर आवेदन पत्र की प्रति आवेदिका को दी जाकर वरिष्ठ न्यायालय से स्थगन आदेश की प्रति प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये । तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर कलेक्टर, गुना के समक्ष प्रस्तुत किये जाने पर अपर कलेक्टर द्वारा दिनांक 7–12–2010 को अंतरिम आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त करते हुए पुनः साक्ष्य लिये जाने के आदेश दिये गये । अपर कलेक्टर के आदेश के विरूद्ध निगरानी अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की गई । अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 28–10–2013 को आदेश पारित कर निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया जाकर एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है । तहसील न्यायालय के समक्ष आवेदिका द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई थी, जिस पर तहसील न्यायालय द्वारा कोई विचार नहीं किया गया है, और उपरोक्त स्थिति पर बिना विचार किये अपर कलेक्टर एवं अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है । उसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर पुनः सुनवाई का अवसर देने हेतु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अनावेदकगण को प्रश्नाधीन भूमि का भूमिस्वामी घोषित किया गया है । इस आधार पर कहा गया कि व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालय पर बंधनकारी है, इसलिए तहसील न्यायालय प्रश्नाधीन भूमि पर नामांतरण करने हेतु बाध्य है, किन्तु प्रकरण प्रत्यावर्तित करने का औचित्य नहीं होने के बावजूद भी अपर कलेक्टर द्वारा

प्रकरण प्रत्यावर्तित करने में अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है, और इस ओर अपर आयुक्त द्वारा भी कोई ध्यान नहीं दिया जाकर आदेश पारित करने में भूल की गई है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अपर कलेक्टर के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर कलेक्टर द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य का समुचित अवसर देते हुए नियमानुसार आदेश पारित करने के स्पष्ट निर्देश तहसीलदार को दिये गये हैं, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । अतः अपर आयुक्त द्वारा अपर कलेक्टर के विधिसंगत आदेश की पुष्टि करने में किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । इस प्रकरण में यह न्यायिक आवश्यकता है कि तहसीलदार को निर्देश दिये जायें कि यदि आवेदिका को प्रतिपरीक्षण करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो तो, दिया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 28–10–2013 एवं अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 7–12–2010 इस निर्देश के साथ स्थिर रखे जाते हैं कि तहसीलदार उभय पक्ष को सुनवाई एवं पक्ष समर्थन का अवसर प्रदान कर नियमानुसार कार्यवाही करें, और यदि आवेदिका को प्रतिपरीक्षण का अवसर प्राप्त नहीं हुआ हो तो वह भी दिया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर